

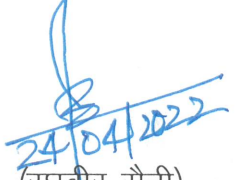


यू.ओ.नोट

विषय:—दिनांक: 01.02.2022 से 21.04.2022 तक प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा ध्वस्त की गई अवैध कॉलोनियों को जेडीए वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रवर्तन शाखा द्वारा दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 31.01.2022 तक कुल 296 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जाकर सूची जेडीए की वेबसाइट पर अपलोड करवाया गयी है; इसी क्रम में दिनांक 01.02.2022 से 21.04.2022 तक प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा ध्वस्त की गई **कुल-66** अवैध कॉलोनियों को जेडीए की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न:—उपर्युक्तानुसार जोनवार सूची (कुल पृष्ठ-26)


(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक-प्रवर्तन,

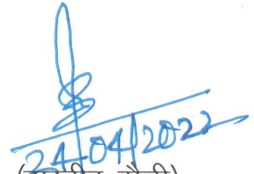
सिस्टम एनालिस्ट,
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक:—जविप्रा/मुनिप्र/2022/डी-1068

दिनांक 25/04/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ सादर प्रेषित है:—

1. आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।


(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक-प्रवर्तन

क.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजी भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	2	03.03.2022	जोन-02 के क्षेत्राधिकार ग्राम-अखेपुरा में अवस्थित करीब 06 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही मिटटी की सड़के व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		06 बीघा	1
2	2	03.03.2022	जोन-02 के क्षेत्राधिकार दिल्ली रोड हाइवे से लगती हुई ग्राम-लक्ष्मीनारायणपुरा में अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही मिटटी की सड़के व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1

3	2	31.03.2022	जोन-02 के क्षेत्राधिकार में ग्राम-अखेपुरा क्षेत्र में अवस्थित करीब 08 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये रातो-रात बसायी जा रही नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		08 बीघा	1
4	2	31.03.2022	जोन-02 के क्षेत्राधिकार में ही अवस्थित करीब 06 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		06 बीघा	1
5	2	20.04.2022	जोन-02 के क्षेत्राधिकार सफेदा फार्म हाउस के पीछे ग्राम-सिसियावास क्षेत्र अवस्थित में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये सालासर व्यास के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1

6	2	20.04.2022	जोन-02 के क्षेत्राधिकार सफेदा फार्म हाउस के पीछे ग्राम-सिसियावास क्षेत्र में ही अवस्थित दूसरी करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसोने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
7	2	20.04.2022	जोन-02 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम-आकेडा क्षेत्र में दिल्ली अजमेर बाईपास रोड़ से लगती हुई करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये सालासर व्यास के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसोने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1

क.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजी भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	7	26.02.2022	जोन-07 के क्षेत्राधिकार ग्राम धावास के पास अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर प्रतापपुरी-प्रथम के नाम से बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिये बनायी गई ग्रेवल रोडस, बाउन्ड्रीवाल, निर्माणधीन 05 दुकानों के स्ट्रेक्चर इत्यादि को दिनांक 20.01.2022 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ विगत दिवस में रातों-रात बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, बाउन्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
2	7	26.02.2022	जोन-07 के क्षेत्राधिकार 200 सेक्टर रोड के पास ग्राम-धावास में ही दुसरी करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर प्रतापपुरी-द्वितीय के नाम से बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिये बनायी गई ग्रेवल रोडस, बाउन्ड्रीवाल, को दिनांक 20.01.2022 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ विगत दिवस में रातों-रात बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, बाउन्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1

क.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजी भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	8	04.02.2022	जोन-08 के क्षेत्राधिकार डिग्गी रोड एलएनटी मार्ग पर अवस्थित करीब 09 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर हरिहन्त विहार के नाम से बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही मटटी, ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को दिनांक 27.01.2022 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही मटटी, ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		09 बीघा	1
2	8	12.04.2022	जोन-08 के क्षेत्राधिकार में शिकापुर रोड पर अवस्थित ग्राम-बम्बाला में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर शिव विहार कॉलोनी के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल, छत हार्डट तक किये गये 02 अवैध निर्माण व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1

क.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजी भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	10	03.02.2022	जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलॉजिकल जोन में खो-नागोरीयान थाना शमशान के पास अवस्थित करीब 01 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		01 बीघा	1
2	10	03.02.2022	जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलॉजिकल जोन में खो-नागोरीयान मोड के पास अवस्थित दूसरी करीब 01 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		01 बीघा	1
3	10	23.02.2022	जोन-10 के क्षेत्राधिकार ग्राम-जयसिंहपुरा-खोर में अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनायी जा रही बाउन्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1

4	10	23.02.2022	जोन-10 के क्षेत्राधिकार रोपाडा के पास ग्राम-खोरी में अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल, पत्थरगढी व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
5	10	22.03.2022	जोन-10 का क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में रोपाडा के पास अवस्थित ग्राम-खोरी में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बनायी गई ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल, मुडीया, डीमार्केशन इत्यादि अवैध निर्माण को 19.01.2022 व 23.02.2022 को ध्वस्त किया गया था; उक्त भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनायी जा रही ग्रेवल सडके, मुडिडया व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
6	10	29.03.2022	जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलॉजिकल जोन में जमवारामगढ़ रोड़ नायला मोड़ पर अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1

7	10	29.03.2022	जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलॉजिकल जोन में जमवारामगढ़ रोड़ नायला मोड़ पर अवस्थित दूसरी करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
8	10	11.04.2022	जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलॉजिकल जोन में ग्राम-बगराना में रोड़वेज बस डिपो के पीछे जविप्रा स्वामित्व की करीब 05 बीघा सरकारी भूमि पर गणपति नगर विस्तार के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनाथ अवैध रूप से बनायी जा रही मिट्टी-ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर जविप्रा स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को अवैध कब्जे-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।	05 बीघा		1
9	10	11.04.2022	जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलॉजिकल जोन में ग्राम-बगराना में ही दूसरी जगह पंचायत समिति के पास जविप्रा की करीब 04 बीघा सरकारी भूमि पर राम नगर कॉलोनी के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनाथ भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर जविप्रा स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को अवैध कब्जे-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।	04 बीघा		1

क्र.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजी भूमि मय माप	कुल अवैध कॉलोनी
1	11	04.02.2022	जोन-11 के क्षेत्राधिकार अजमेर रोड पर ग्राम-जससिंहपुरा में अवस्थित करीब 09 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर कमला रेजीडेन्सी के नाम से बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवड सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		09 बीघा	1
2	11	09.02.2022	जोन-11 के क्षेत्राधिकार ग्राम-नेवटा में अवस्थित जयसिंहपुरा बास के खसरा नं. 97 में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
3	11	23.02.2022	जोन-11 के क्षेत्राधिकार नेवटा में अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1

4	11	23.02.2022	जोन-11 के क्षेत्राधिकार ग्राम-कालवाड में अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
5	11	23.02.2022	जोन-11 के क्षेत्राधिकार ग्राम-जयसिंहपुरा में ओ.आर.विला के पीछे अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही बाउन्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
6	11	23.03.2022	जोन-11 के क्षेत्राधिकार नेवटा के पास अवस्थित ग्राम-खातीपुरा में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1

7	11	26.03.2022	जोन-11 के क्षेत्राधिकार मुहाना मंडी के सामन अवस्थित ग्राम-केशवाला में अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के रातो-रात बने एक मकान के निर्माणाधीन स्ट्रेक्चर, ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
---	----	------------	--	--	---------	---

क.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजी भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	12	10.02.2022	जोन-12 के क्षेत्राधिकार ग्राम-कालवाड में मण्डाभोपावास रोड पर अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर प्रज्ञा विहार के नाम से बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
2	12	10.02.2022 पुनः 10.03.2022	जोन-12 के क्षेत्राधिकार जोबनेर रोड पर अवस्थित ग्राम-पचार में करीब 08 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर लक्ष्मी विहार के नाम से बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		08 बीघा	1

3	12	15.02.2022 पुनः 10.03.2022	जोन-12 के क्षेत्राधिकार कालवाड रोड पार्थ सिटी के पीछे अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर गणपति विहार नाम से बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
4	12	22.02.2022	जोन-12 के क्षेत्राधिकार सिरसी रोड सिवार फाटक के पास में अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी आशु सिटी के नाम से बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के निर्माणाधीन 07 अवैध विलाजो को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
5	12	22.02.2022	जोन-12 के क्षेत्राधिकार सिरसी रोड सिवार फाटक के पास में अवस्थित दूसरी करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी मंगल विहार के नाम से बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1

6	12	22.02.2022	जोन-12 के क्षेत्राधिकार गांव-सिवार में अवस्थित करीब 01 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी तेजाजी नगर के नाम से बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल दो निर्माणाधीन अवैध विलाज व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		01 बीघा	1
7	12	22.02.2022	जोन-12 के क्षेत्राधिकार गांव-सिवार में अवस्थित दूसरी करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही बाउन्ड्रीवाल, 05 पानी के हौद व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
8	12	22.02.2022	जोन-12 के क्षेत्राधिकार सिरसी रोड पर अवस्थित गांव-सिवार मोड पर करीब 15 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी ओम वाटिका-23 के नाम से बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, मिट्टी की कच्ची सडके, व अन्य अवैध निर्माण का दिनांक 11.08.2021 को ध्वस्त किया गया था; जिसे प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		15 बीघा	1

9	12	26.02.2022	जोन-12 के क्षेत्राधिकार भाकरोटा मुकुन्दपुरा बासडी में अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये गोविन्द नगर के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल, टीनशेडनुमा अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
10	12	10.03.2022	जोन-12 का क्षेत्राधिकार कालवाड़ रोड़ पर अवस्थित खण्डाका हास्पिटल के पीछे करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति भूमि को समतल कर बनायी रही मिटटी की सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
11	12	10.03.2022	जोन-12 का क्षेत्राधिकार जोबनेर रोड़ पर अवस्थित ग्राम-पचार करीब 08 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर लक्ष्मी विहार के नाम से बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बनायी गई ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल इत्यादि को पूर्व में दिनांक 10.02.2022 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति भूमि को समतल कर बनायी रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		08 बीघा	1

12	12	10.03.2022	जोन-12 का क्षेत्राधिकार कालवाड रोड पार्थ सिटी के पीछे अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बनायी गई ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को पूर्व में दिनांक 15.02.2022 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति भूमि को समतल कर बनायी रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
13	12	08.04.2022	जोन-12 के क्षेत्राधिकार में रॉयल सिटी हाथोज के पीछे अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये मंगल विहार के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
14	12	08.04.2022	जोन-12 के क्षेत्राधिकार में ही ग्राम-लालचंदपुरा में अवस्थित करीब 08 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये श्री राम नगर-द्वितीय के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		08 बीघा	1

15	12	19.04.2022	जोन-12 के क्षेत्राधिकार में कालवाड़ रोड पर अवस्थित ग्राम-चम्पापुरा में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये श्याम विहार के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसोने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
----	----	------------	--	--	---------	---

क.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजी भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	13	03.02.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम-हीरावाला के खसरा नं. 64 परमानन्द फार्म के पास, जमवारामगढ़ रोड पर अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
2	13	25.02.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार सीकर रोड पर अवस्थित ग्राम-मोटू का बास के खसरा नम्बर 11 में करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिये डाली गई ग्रेवल सड़को व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1
3	13	02.03.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम बस्सी में अवस्थित जैन नसियां के पास करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1

4	13	02.03.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम बस्सी में ही अवस्थित दूसरी करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1
5	13	02.03.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम बस्सी में ही अवस्थित तीसरी करीब 07 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		07 बीघा	1
6	13	02.03.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम बस्सी में ही पांच सौ मीटर दूरी पर अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही मिटटी की सडके व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1

7	13	08.03.2022	जोन-13 का क्षेत्राधिकार ग्राम-जुगलपुरा हल्का चिताणुकला निम्स युनिवर्सिटी के सामने करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बनायी जा रही मिटटी व ग्रेवल सडकों को पूर्व में दिनांक 02.09.2021 को ध्वस्तीकरण किया गया था। संबंधित अवैध कॉलोनी बसाने वालों से जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 37(2) के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का खर्चा कुल राशि 72,888 रुपये जरीये चालान दिनांक 20.03.2021 को जेडीए कोष में जमा करवाये गये। उक्त कॉलोनी पुनः बसाने के प्रयोजनार्थ सडकों को पुनः ठीक करने गैर मुमकिन नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर सडक बनाने व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1
8	13	12.03.2022	जोन-13 का क्षेत्राधिकार टाटयावास टॉल प्लाजा के अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये बालाजी मार्केट के नाम से नवीन अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1

9	13	23.03.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार न्यू ट्रान्सपोर्ट नगर के पास ग्राम-सेवापुरा में अवस्थित कचरा प्लांट के पास निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये एगो वेयर हाउस के नाम से अवैध रूप से व्यावसायिक गोदामो के लिए नवीन अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।			1
10	13	24.03.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम-बरसी में अवस्थित जैन नसियां के पास अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को पूर्व में दिनांक 02.03.2022 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सडको को पुनः ठीक कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1

11	13	24.03.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम-बस्सी में अवस्थित दूसरी करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1
12	13	24.03.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम-बस्सी में अवस्थित तीसरी करीब 07 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		07 बीघा	1
13	13	24.03.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम-बस्सी में ही 500 मीटर दूरी पर अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही मिट्टी की सडके व अन्य अवैध निर्माण प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1

14	13	21.04.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार में बस्सी तुंगा रोड, अनाज मण्डी नईनाथ रोड पर बलबेरी से आगे की तरफ विगत दिवसों में रातों-रात करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये बलवीर धाम के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के ग्रेवल रोड डालकर नवीन अवैध दुकानों के ढाचे खड़े कर, बाउन्ड्रीवाल बनाकर अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही तत्पश्चात् करवाकर किये जा रहे अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
15	13	21.04.2022	जोन-13 के क्षेत्राधिकार में बस्सी में ही दूसरी जगह सरपंच की ढाणी, रेल्वे स्टेशन के पास करीब 05 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल मिट्टी की सड़के व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।	05 बीघा		1

क.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजी भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	14	01.02.2022	जोन-14 के क्षेत्राधिकार तहसील चाकसू के पास अवस्थित ग्राम-मानपुरा डुंगरी के खसरा नं. 615, 616, 617, 663/881, 664/880, 746, 749 से 754 तक करीब 10 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बनायी गई मिट्टी ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को दिनांक 01.02.2022 को पुनः ध्वस्त किया गया।		10 बीघा	1
2	14	12.02.2022	जोन-14 के क्षेत्राधिकार वाटिका रोड पर अवस्थित ग्राम-कलवाला में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
3	14	12.02.2022	जोन-14 के क्षेत्राधिकार वाटिका के पास रिंग रोड से आगे अवस्थित करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण कराये गोविन्द वाटिका के नाम से अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को 07.10.2021 को ध्वस्त किया गया था जिसे पुनः प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1

4	14	17.02.2022	जोन-14 के क्षेत्राधिकार वाटिका से आगे ग्राम-फतेहपुरा में अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही मिटटी-ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
5	14	17.02.2022	जोन-14 के क्षेत्राधिकार वाटिका से आगे ग्राम-फतेहपुरा में अवस्थित दुसरी करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1
6	14	01.04.2022	जोन-14 के क्षेत्राधिकार वाटिका से आगे कुम्हारियावास रोड ग्राम-फतेहपुरा में अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर सैज ग्रुप व इसी के पास दूसरी करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर मीरा ग्रुप के नाम से बिना भूरूपान्तरण कराये 02 नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		06 बीघा	2

7	14	01.04.2022	जोन-14 के क्षेत्राधिकार ग्राम-फतेहपुर के पास कुम्हारियावास रोड पर ही अवस्थित तीसरी करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर मारुती नगर के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
8	14	01.04.2022	जोन-14 के क्षेत्राधिकार शिवदासपुरा के पास पदमपुरा रोड पर अवस्थित ग्राम-पाचूण्डा में करीब 12 बीघा निजी खातेदारी भूमि के खातेदार द्वारा जेडीए से 90बी करवायी गयी: परन्तु तकनीकी अनुमोदन नहीं करवाया गया: उक्त कृषि भूमि पर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के स्पीड राईडर के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		12 बीघा	1